Research Review
The Refereed Peer Reviewed International Journal
ISSN: 2321-4708

Vol. 1, Issue: 155, Jul, 2025
Paper ID: RRJ534175
https://www.researchreviewonline.com

Publishing URL: https://www.researchreviewonline.com/issues/volume-1-issue-155-july-2025/RRJ534175

मारवाड़ रियासत में अपराध और पुलिस नियंत्रण: 1885-1947 ईस्वी के बीच एक ऐतिहासिक अध्ययन

जालम सिंह रतनू,
शोधार्थी इतिहास और संस्कृति विभाग,
सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दांडिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर, मोबाईल- 7062111464

प्रस्तावना:

अपराध एक जटिल सामाजिक घटना है जिसे विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है। रॉबिन्सन के अनुसार, आवारागर्दी, भीख मांगना और दुर्व्यवहार जैसे कृत्य अपराध के लक्षण हैं । हॉल ने अपराध की पांच मुख्य विशेषताओं पर जोर दिया है, जिनमें राज्य द्वारा क्रिया का प्रतिबंधित होना, बाहरी समाज के लिए कष्टकारी होना, नुकसानदेह क्रियाओं का संज्ञान में होना, दंड का प्रावधान होना और हानि पहुँचाने का प्रयोजन शामिल है । न्यूमेयर इसे समाजविरोधी कार्य के रूप में देखते हैं जो कानून का उल्लंघन करता है । जोधपुर रियासत में ब्रिटिश प्रभाव बढ़ने के साथ, 1885 से 1947 ईस्वी के दौरान अपराध की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पुलिस विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई । यह अध्ययन मारवाड़ रियासत में इस अवधि के दौरान अपराध की प्रकृति, उसके कारणों और पुलिस नियंत्रण के प्रयासों का विस्तृत विश्लेषण करेगा।

अपराध की अवधारणा और उसके कारण: अपराध केवल एक व्यक्ति के खिलाफ गलत नहीं है, बल्कि एक सामाजिक या सार्वजनिक रूप से किया गया गलत कार्य है जिसमें हत्या, बलात्कार और चोरी जैसे कृत्य शामिल हैं । दंड के प्रावधान के साथ कानूनों का निर्माण मानव समाज में अपराधों की रोकथाम के लिए आवश्यक रहा है । अपराध रहित समाज की कल्पना करना निरर्थक है क्योंकि मनुष्य में भौतिक आपूर्तियों के लिए किसी भी हद तक जाने की पाशविक प्रवृत्ति होती है । समाजवादी विचारकों का मानना है कि शहरी पलायन और भौतिकवादिता अपराधों में वृद्धि करती है ।

अपराध के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे:

- **आर्थिक तत्व:** मानव उत्पत्ति के बाद से ही धन की लालसा ने उसे प्रभावित किया है । बेन्लम और प्लेटो जैसे विद्वानों ने आर्थिक दृष्टिकोण को अपराध का एक महत्वपूर्ण कारण माना है । निर्धनता को समाज के लिए एक बड़ा कलंक माना जाता है जो आर्थिक अपराधों को जन्म देती है, जैसे आवारागर्दी, चोरी, लूटपाट और डकैती ।[1]

Research Review
The Refereed Peer Reviewed International Journal
ISSN: 2321-4708
Vol. 1, Issue: 155, Jul, 2025
Paper ID: RRJ534175
https://www.researchreviewonline.com
Publishing URL: https://www.researchreviewonline.com/issues/volume-1-issue-155-july-2025/RRJ534175

- **सामाजिक कारण:** व्यक्ति के जन्म के समय से ही सामाजिक परिस्थितियाँ उस पर प्रभाव डालती हैं । वंशानुगत प्रवृत्तियाँ, आस-पड़ोस का माहौल, और परिवार में गृह कलह व बच्चों की उपेक्षा जैसे कारक आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर करते हैं ।
- **मानसिक तनाव:** जड़ (धन), जमीन और जोरू (स्त्री) से संबंधित तनाव, परिवारों में बिखराव, आपसी कलह और गरीबी अपराधों का कारण बनती है । ईमानदारी से धनोपार्जन में असफलता व्यक्ति को दुष्कर्म की ओर धकेल देती है ।
- **आनुवांशिक कारण:** इस श्रेणी में बौद्धिक और जैविक लक्षण शामिल होते हैं जो व्यक्ति के आपराधिक व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं ।
- **भौगोलिक परिस्थितियाँ:** वायु, जल, भूमि, तापमान और वर्षा जैसे भौगोलिक कारक भी अपराधों को प्रभावित करते हैं । बीकानेर और नागौर शासकों के बीच "मतीरा" (एक प्रकार का फल) के लिए संघर्ष में सैकड़ों लोगों की जान गई थी । डेक्स्टर ने 1904 ई. में अपने अध्ययनों में वायुमंडलीय दबाव, ताप और नमी के सीधे प्रभाव का उल्लेख किया, उनका मानना था कि नमी बढ़ने से हिंसक अपराध बढ़ते हैं ।[2]

मारवाड़ रियासत में अपराधों की प्रवृत्तियाँ (1885-1947 ईस्वी के बीच):

राजपूताना राज्य में सबसे बड़ी निज़ामत के रूप में मारवाड़ रियासत पश्चिमी भू-भाग को दर्शाती थी, जिसकी राजधानी जोधपुर थी । यह क्षेत्र अरावली पर्वत श्रृंखला से रहित होने के कारण सुनसान और वीरान रेतीले मैदानों से ढका था, जिसे स्थानीय भाषा में 'टीबों' कहा जाता था । पानी का अभाव और खारे पानी की झीलें जनता के लिए बड़ी समस्याएँ थीं, जिससे पलायन और आपसी संघर्ष होता था । यहाँ की भौगोलिक पृष्ठभूमि डकैती और हत्या जैसी आपराधिक क्रियाओं को सदैव आमंत्रित करती थी ।

- **डकैती और चोरी:** मारवाड़ में चोरी और डकैती चिरकाल से पहचान रही है । सीमावर्ती पर्वत सीमा से सटे भील, मीणा जैसी जातियाँ चोरी और डकैती करके जीवन निर्वाह करती थीं । निम्न श्रेणी के सामंत भी डकैती दल के नेता बन जाते थे । राज्य ने डकैती समुदाय के लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली । खुला मैदानी भाग और वनीय क्षेत्र अपराधियों के भागने में सहायक होते थे ।
- **जल संकट:** मारवाड़ प्रदेश में पानी की समस्या सबसे बड़ा अभिशाप रही है । कम बरसात के कारण भूमिगत जल की कमी थी, जिससे "सस्ता खून व महंगा पानी" जैसी लोकोक्ति प्रचलित हुई । 1899 ईस्वी का छप्पनिया अकाल मारवाड़ के लोगों के दिमाग में आज तक बसा हुआ है, जिसने जनजीवन को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया और आपराधिक प्रवृत्तियों को भी जन्म दिया ।[3]
- **अफीम का व्यापार:** जोधपुर रियासत के राजपूतों में अफीम का सेवन बढ़ गया, जिससे उनकी जातीय शक्ति का पतन होने लगा । कर्नल जेम्स टॉड ने अफीम सेवन रोकने का प्रयास किया, लेकिन यह संभव नहीं हुआ । धनी महाजन लाभ

Research Review
The Refereed Peer Reviewed International Journal
ISSN: 2321-4708
Vol. 1, Issue: 155, Jul, 2025
Paper ID: RRJ534175
https://www.researchreviewonline.com
Publishing URL: https://www.researchreviewonline.com/issues/volume-1-issue-155-july-2025/RRJ534175

के लोभ में किसानों से अफीम की खेती करवाने लगे, जिससे अफीम का व्यापार बढ़ा और समाज में आपराधिक प्रवृत्तियाँ और तस्करी जागृत हुईं[4] ।

- **कर्ज भार की प्रवृत्ति:** 1882-85 के राजपूताना गजट के अनुसार, मारवाड़ राज्य में आय-व्यय में निरंतर परिवर्तन होता रहा । रेलवे पर खर्च और वैवाहिक खर्चों के कारण रियासत पर कर्ज का बोझ बढ़ गया । इसकी भरपाई का भार स्थानीय जनता पर पड़ता था, जिससे उनमें आपराधिक प्रवृत्तियों ने जन्म लिया ।[5]
- **लाग-बागों का अतिरिक्त भार:** मारवाड़ की भौगोलिक भिन्नता के कारण स्थानीय ठिकानों या परगनों को शासकों द्वारा आदेशानुसार कृषि के साथ-साथ अन्य लाग-बागों का भुगतान करना पड़ता था । इनमें सेरीणा, बल, कड़ब घास, रसद, धुमालों, पांन चराई, फरौही, तलबानों, मिलणो, बाड़, मापो, तुलावट, ऊनालु, पाताल भोग, घासमारी आदि प्रमुख थे । ये अतिरिक्त भार जनता पर पड़ता था, जिससे वे आत्महत्या या मार-काट करने के लिए मजबूर हो जाते थे ।[5]
    - **मापो:** वस्तुओं के आयात-निर्यात पर लिया जाने वाला कर था, जिससे व्यापारिक गतिविधियों पर अंकुश लगा और व्यापारियों की मनोवृत्ति बदल गई ।
    - **ऊनालु:** रबी की फसल पर लगने वाला कर था, जो शरद ऋतु के अंत में बोई जाती थी और बसंत ऋतु के बाद काटी जाती थी ।
    - **पीयल:** सिंचित भूमि पर प्रति बीघा के हिसाब से 1.37 रुपये नकद लिया जाने वाला कर था, जिसमें निरंतर परिवर्तन होता रहा ।

मारवाड़ पुलिस और अपराध नियंत्रण:

समाज में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस महकमे का होना अत्यंत आवश्यक है । मारवाड़ राज्य ने 1861 ईस्वी के अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश सरकार के समन्वय से पुलिस विभाग का गठन किया । 1818 ईस्वी में मारवाड़ राज्य के साथ राजनीतिक संधि के उपरांत अंग्रेजों का प्रभुत्व हो गया, जिसके कारण अंग्रेजी सोच के आधार पर जोधपुर पुलिस व्यवस्था लागू की गई । पुलिस महकमे का कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, यातायात नियंत्रण, चोरी, लूटमार, डकैती, तस्करी, हत्या और अवांछित घटनाओं पर भी निगरानी और नियंत्रण रखना था ।[6]

1885 ईस्वी से पहले, राजघराने और कुलीन सामंतों को ही सुरक्षा का भार दिया गया था, जो हकीमों के अधीन रहते थे । मारवाड़ में बढ़ते ठगों और डकैतियों के कारण 1886 ईस्वी में डकैती विभाग का गठन किया गया, जिसे 1903 ईस्वी में पुलिस महकमे में मिला लिया गया ।[7] 1905 ईस्वी के बाद पुलिस बल का पुनर्गठन कर आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया । इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को सर्वोच्च पद माना गया । मारवाड़ के पूर्वी रेंज में 48 थानों के साथ जोधपुर, नागौर और पुलिस लाइन को सम्मिलित किया गया, जबकि पश्चिमी रेंज में बीकानेर, सोजत, नावा, जालौर शामिल किए गए । ब्रिटिश सरकार और प्रशासन ने आरक्षी प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित किए ताकि योग्य कर्मियों को महकमे में शामिल किया जा सके ।

Research Review
The Refereed Peer Reviewed International Journal
ISSN: 2321-4708
Vol. 1, Issue: 155, Jul, 2025
Paper ID: RRJ534175
https://www.researchreviewonline.com
Publishing URL: https://www.researchreviewonline.com/issues/volume-1-issue-155-july-2025/RRJ534175

1945-1946 में राज्य सरकार ने पुलिस विभाग को मजबूती प्रदान करने के लिए 11 लाख 14 हजार रुपये खर्च करने का आदेश जारी किया ।[7]

मारवाड़ पुलिस के प्रमुख अभियान और अधिकारी:

1885 ईस्वी से 1947 ईस्वी के बीच मारवाड़ पुलिस के अनेक पदाधिकारियों ने विभिन्न अभियानों के माध्यम से अपराधियों पर नियंत्रण पाया और राज्य में शांति-सौहार्द का माहौल बनाने में कामयाबी हासिल की ।

- **ठाकुर बख्तावर सिंह (पुलिस अधिकारी):**
  - बाड़मेर जिले के कोल्वू गांव में 1887 ईस्वी में जन्मे ठाकुर बख्तावर सिंह ने 1912 में फिल्लोर (पंजाब) से पुलिस ट्रेनिंग लेकर इंस्पेक्टर के पद पर कार्यभार संभाला । उन्होंने मेड़ता, जालौर, नागौर और जोधपुर जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी निभाई । उन्होंने महाराजा सुमेर सिंह और प्रताप सिंह के साथ प्रथम विश्व युद्ध में भी हिस्सा लिया । 1934 में उन्हें डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और 1946 में आई.जी.पी. के पद पर पदोन्नत किया गया ।[8]
  - **आदिया मीणा और उसकी गैंग:** मीणा जनजाति के आदिया मीणा और उसके साथियों (भूरिया, कालिया) ने सोझत, पाली, देसुरी और बाली में लूटपाट और हत्याएं की थीं । ठाकुर बख्तावर सिंह, जो उस समय सोझत इलाके के पुलिस सुपरिटेंडेंट थे, ने इस गैंग को समाप्त करने का कार्यभार संभाला । उन्होंने एक विशेष टीम का गठन किया और 16 अगस्त 1923 को मुखिया आदिया को गिरफ्तार किया, जिसके बाद 13 अन्य सदस्यों को भी सफलता मिली । इस सफलता के लिए उन्हें प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया ।[9]
  - **बलोची डाकू:** बलूचिस्तान के 5-6 डाकू जामनगर में फौज में शामिल हो गए और आसपास के गाँवों में लूटपाट करते थे । सूचना मिलने पर बख्तावर सिंह ने अपने साथी सदस्यों के साथ उनका पीछा किया । मुठभेड़ में बख्तावर सिंह घायल हो गए , लेकिन बाद में उन्होंने कानसिंह के साथ मिलकर सिंधु प्रांत में इन डाकुओं को मार गिराया । 7 अगस्त 1929 को उन्हें "किंग्स पुलिस मैडल" से सम्मानित किया गया ।[10]
  - **धोकलसिंह डाकू:** गुणाटू गांव का धोकलसिंह कई जगहों पर डकैतियाँ करके आतंक फैला रहा था । सांभर से गिरफ्तार होने के बाद वह जेल से फरार हो गया । ठाकुर बख्तावर सिंह ने उसे एक गांव में छिपा हुआ पाया और आपसी मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की । धोकलसिंह को फाँसी की सजा सुनाई गई और बख्तावर सिंह को प्रशस्ति पत्र और 50 रुपये नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया[11] ।
  - **महाजन रीखबमल पर ठगी का आरोप:** महाजन रीखबमल व्यापार के नाम पर लोगों से पैसे वसूल कर फरार हो जाता था । तिलवाड़ा के मेले में 15-20 हजार रुपये इकट्ठे कर फरार होने के बाद, बख्तावर सिंह ने उसे नसीराबाद में एक सराय में छिपा हुआ पाया और गिरफ्तार किया । महाजन को 13 वर्ष की सजा हुई ।[12]

Research Review
The Refereed Peer Reviewed International Journal
ISSN: 2321-4708
Vol. 1, Issue: 155, Jul, 2025
Paper ID: RRJ534175
https://www.researchreviewonline.com
Publishing URL: https://www.researchreviewonline.com/issues/volume-1-issue-155-july-2025/RRJ534175

- **भूरिया जाट का सफाया:** मेड़ता के समीपवर्ती गांव का भूरिया जाट आपसी झगड़े में कत्ल कर फरार चल रहा था । बख्तावर सिंह ने मुखबिर की सूचना पर उसे मेड़ता के आसपास के गांवों में घेरकर हवलदार गणपतसिंह के सहयोग से मार गिराया ।[13]
- **उपलब्धियाँ:** बख्तावर सिंह ने 1912 में इंस्पेक्टर, 1920 में एस.पी., 1934 में डी.आई.जी. और 1946 में आई.जी.पी. जैसे पदों पर आसीन हुए । उन्हें "मारवाड़ पुलिस मेडल" भी प्रदान किया गया ।[14]

- **मुहम्मद अकरम खान (सब इंस्पेक्टर):**
  - 1920 से 1940 ईस्वी के बीच जोधपुर राज्य में बढ़ती लूटपाट, डकैती और हत्याएं राजनीतिक अराजकता का मुख्य कारण थीं । मारवाड़ पुलिस के सब इंस्पेक्टर मुहम्मद अकरम खान ने इन घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई ।
  - **जोरसिंह के खिलाफ अभियान:** 1931 ईस्वी की यह घटना है जब केरू के जागीरदार का रिश्तेदार जोरसिंह भूमि के एक टुकड़े के विवाद के कारण गैरकानूनी मामलों में लिप्त हो गया था । प्रारंभ में वह जागीरदार को परेशान करता था, लेकिन धीरे-धीरे उसने यात्रियों और चरवाहों को भी परेशान करना शुरू कर दिया और एक बड़ा गिरोह बनाकर आसपास के गाँवों में डकैतियाँ शुरू कर दीं । पुलिस ने उसे अपराधी घोषित कर 1,000 रुपये का इनाम घोषित किया । वह गुजरात के दांता राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में छिप गया था । 12 अप्रैल 1931 को जोरसिंह ने अपने साथियों के साथ बाली जिले के बीजापुर गांव में डकैती शुरू की । सूचना मिलने पर बाली के पुलिस स्टेशन के उप निरीक्षक अकरम खान ने जमादार दीन मोहम्मद और दो कांस्टेबलों सहित पुलिसकर्मियों को इकट्ठा कर पहाड़ी क्षेत्रों में उसकी तलाश शुरू कर दी । सायंकाल का समय होने के कारण उन्हें खोजना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उन्होंने मशाल जलाकर डाकुओं को ढूंढना जारी रखा । रघुनाथपुरा में उन्हें घेरने में सफलता मिली, जहाँ दोनों पक्षों में काफी फायरिंग हुई । मुठभेड़ में अकरम खान घायल हो गए । उन्हें इलाज के लिए जोधपुर लाया गया, और ठीक होने पर महाराजा साहब बहादुर ने उन्हें सम्मानित किया ।[15]

- **बलदेवराम मिर्धा:**
  - नागौर के कुचेरा गांव में 17 जनवरी 1989 को जन्मे बलदेवराम मिर्धा के पिता मंगाराम जोधपुर राज्य में डाक-तार विभाग में कार्यरत थे और उन्हें "मिर्धा" की उपाधि से विभूषित किया गया था । बलदेवराम ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जोधपुर रियासत में पुलिस सेवा में शामिल हो गए । 1914 में उपनिरीक्षक पद पर नियुक्त हुए और धीरे-धीरे 1921 में महानिरीक्षक और 1926 तक अधीक्षक और उपनिरीक्षक पदों पर पदोन्नत हुए । 1943 में वे जनरल तक के पद पर पहुंचने में सफल रहे । 1947 में उन्होंने पुलिस विभाग से इस्तीफा देकर जनकार्यों में लग गए, क्योंकि उन्हें लगा कि गरीब किसानों की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है ।[16]
  - **किसानों से जुड़ाव और अभियान:** पुलिस सेवा में रहते हुए गांवों का दौरा करते समय उन्होंने किसानों की दयनीय हालत देखी । जागीरदारों का वर्चस्व था और किसान उनकी सेवा में लगे रहते थे । किसान गाय के

Research Review
The Refereed Peer Reviewed International Journal
ISSN: 2321-4708
Vol. 1, Issue: 155, Jul, 2025
Paper ID: RRJ534175
https://www.researchreviewonline.com
Publishing URL: https://www.researchreviewonline.com/issues/volume-1-issue-155-july-2025/RRJ534175

लिए चारा भी इकट्ठा नहीं कर सकता था, और कुल फसल का 50% हिस्सा जागीरदार वसूल कर लेते थे । बलदेवराम ने लोगों की अज्ञानता को शोषण का मूल कारण माना । उन्होंने चौधरी छोटूराम और सेठ छाजूराम के सहयोग से मारवाड़ में शिक्षण संस्थाओं का विस्तार किया और गांव-गांव में किसानों को जागरूक कर स्कूल खुलवाए । 1942 में चौधरी छोटूराम के आतिथ्य में किसान सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें लाखों किसानों ने भाग लिया, जिससे जागीरदारों का विरोध बढ़ गया ।[17]

- **विभिन्न अभियान और मिर्धा की भूमिका:** उन्होंने अपने पुलिस कार्यकाल के दौरान डाकू जवाहरसिंह को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । 12 मई 1926 को वे डाकू मीरखां, बलसिंह और रणजीतसिंह के गिरोह को उस्तरा गांव के नाले के समीप घेरने में सफल रहे । तीन घंटे चली मुठभेड़ में दो डाकू मारे गए । 24 जनवरी 1927 को राज्य द्वारा कचहरी में भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें और अन्य पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया ।[18]
- **मीठड़ी कॉइन केस:** बलदेवराम मिर्धा को मीठड़ी गांव की टकसाल में हो रही गड़बड़ियों के अन्वेषण का कार्यभार सौंपा गया था । यह गांव नागौर के लाडनूं के समीप था, और यहाँ जोधपुर सामंत के साथ कुचामन टकसाल का नियंत्रण था । 1893-94 और 1894-95 के बीच यहाँ सोने-चांदी के सिक्के ढाले गए थे । उन्होंने गहनता से जांच करके जोधपुर शासक उम्मेदसिंह को प्रभावित किया, क्योंकि इन गड़बड़ियों से राज्य की साख और राजस्व दोनों को नुकसान पहुँच रहा था । उनकी उपलब्धि से खुश होकर उन्हें मेडल दिया गया, जिसे "मीठड़ी कॉइन केस" नाम दिया गया । मिर्धाजी ने नकली नोट और सिक्के बनाने वाले स्थानीय जागीरदारों को पकड़वाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने गुजरात, पंजाब और काठियावाड़ रियासतों से संबंध रखे थे ।[19]

- **ठाकुर कानसिंह (पुलिस अधिकारी):**
  - मारवाड़ पुलिस के योग्य और साहसी कर्मी ठाकुर कानसिंह खींची ने सब इंस्पेक्टर पद से अपना प्रारंभिक दौर प्रारंभ किया । उन दिनों मारवाड़ राज्य में आपराधिक गतिविधियाँ अत्यधिक फैली हुई थीं ।
  - **मंगल दास साध के विरुद्ध कार्रवाई:** मंगल दास साध का उदय 1921 ईस्वी में हुआ, जो नागौर जिले के सांडीला गांव से संबंध रखता था । वह गलत संगत में लीन होने के कारण चोरी और डकैती करने लगा । 1921 में मारवाड़ पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद मंगलदास को 4 वर्ष की सजा सुनाई गई, लेकिन वह कुछ महीनों बाद जेल से भागने में सफल रहा । आई.जी. के आदेशानुसार कानसिंह के नेतृत्व में सरदार रिसाल दल का गठन किया गया और मंगलदास को पकड़ने का आदेश हुआ । 7 दिसंबर 1923 को कानसिंह को सूचना मिली कि ओसिया गांव के महाजन से दस्यु रातभर फिरौती मांग रहा है । कानसिंह अपने साथियों सहित ऊंट पर सवार होकर मंगलदास का सामना किया । मुठभेड़ में मंगलसिंह पातावत घायल हो गया और अंततः उसके प्राण निकल गए । इस सफलता से कानसिंह की मारवाड़ पुलिस में काफी लोकप्रियता बढ़ गई और राज्य में उपद्रव शांत हो गया । कवि ब्रह्मभट्ट पदम ने अपने छंदों में उनका गुणगान किया है ।[20]

Research Review
The Refereed Peer Reviewed International Journal
ISSN: 2321-4708
Vol. 1, Issue: 155, Jul, 2025
Paper ID: RRJ534175
https://www.researchreviewonline.com
Publishing URL: https://www.researchreviewonline.com/issues/volume-1-issue-155-july-2025/RRJ534175

- कानसिंह ने अन्य अपराधियों को भी आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया । उन्होंने डाकू भूरसिंह को पकड़वाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसके भाई बलसिंह को गोली मारकर ढेर कर दिया । 26 दिसंबर 1926 को उन्हें सम्मान प्रपत्र और नकद राशि प्रदान की गई ।[21]

निष्कर्ष:

मारवाड़ रियासत में 1885 से 1947 ईस्वी के बीच अपराधों की प्रकृति बहुआयामी थी, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और भौगोलिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान था। इस अवधि में डकैती, चोरी, जल संकट से जुड़े अपराध, अफीम का अवैध व्यापार और अत्यधिक करों का बोझ प्रमुख आपराधिक प्रवृत्तियाँ थीं। ब्रिटिश समन्वय के बाद, मारवाड़ पुलिस विभाग का गठन और पुनर्गठन किया गया, जिसने अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठाकुर बख्तावर सिंह, मुहम्मद अकरम खान, बलदेवराम मिर्धा और ठाकुर कानसिंह जैसे पुलिस अधिकारियों ने विभिन्न अभियानों के माध्यम से इन आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया, कानून और व्यवस्था बनाए रखी और राज्य में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन अधिकारियों के साहस और निष्ठा ने मारवाड़ रियासत में जनता को राहत प्रदान की और पुलिस प्रशासन के आदर्श को प्रस्तुत किया।

संदर्भ सूची:

1. डॉक्टर बी0 एम0 जैन, रिसर्च मैथ्डोलॉजी, रिसर्च पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, जयपुर पृ0 25
2. जे0पी0 नायक, भारत में महिलाओं की प्रस्थिति (राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट)
3. जगदीश सिंह गहलोत, मारवाड़ राज्य का इतिहास पृष्ठ 109
4. जेम्स टॉड जोधपुर राज्य का इतिहास कृत पृष्ठ 351
5. मारवाड़ रा परगना री विगत, खण्ड-01, पृष्ठ-158-159
6. शर्मा, जी0 सी0, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ़ राजपूत पृष्ठ 164
7. फाइल नंबर 9, 17 जुलाई 1916, आदेश संख्या 910 जोधपुर महकमा खास, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर
8. डॉ. सर्वोतम माथुर- महाराजा उम्मेदसिंह आधुनिक मारवाड़ के निर्माता पृष्ठ 59
9. डॉक्टर कुमार महेंद्रसिंह नगर, मारवाड़ के अद्वितीय पुलिस अधिकारी ठाकुर बख्तावरसिंह मेहचा पृष्ठ-126
10. द रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दा मारवाड़ स्टेट फॉर द ईयर 1928-29 पेज 03
11. डॉक्टर कुमार महेंद्रसिंह नगर, मारवाड़ के अद्वितीय पुलिस अधिकारी ठाकुर बख्तावरसिंह मेहचा पृष्ठ-128
12. वही
13. पंडित विश्वेश्वरनाथ रेऊ, मारवाड़ का इतिहास, भाग- 02, पृष्ठ 499
14. डॉक्टर कुमार महेंद्रसिंह नगर, मारवाड़ के अद्वितीय पुलिस अधिकारी ठाकुर बख्तावरसिंह मेहचा पृष्ठ-128
15. किशनपुरी-मैमोरीज ऑफ द मारवाड़ पुलिस पृष्ठ- 73-78

Research Review
The Refereed Peer Reviewed International Journal
ISSN: 2321-4708
Vol. 1, Issue: 155, Jul, 2025
Paper ID: RRJ534175
https://www.researchreviewonline.com
Publishing URL: https://www.researchreviewonline.com/issues/volume-1-issue-155-july-2025/RRJ534175

16. लक्ष्मण बुरड़क का लेख पृष्ठ -05
17. पंडित विश्वेश्वरसिंह रेऊ- मारवाड़ का इतिहास, भाग-02, पृष्ठ 475
18. मारवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1930-31 पृष्ठ- 62-65
19. निर्मला उपाध्याय, जोधपुर राज्य का प्रशासन, 1800-1947 ई0
20. किशनपुरी -मैमोरीज ऑफ द मारवाड़ पुलिस, पृष्ठ 73-75
21. किशनपुरी -मैमोरीज ऑफ द मारवाड़ पुलिस, पृष्ठ 73-75